छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
–:: मंत्रालय ::–
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर

क्रमांक 1462/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राशि विमुक्ति की संशोधित प्रक्रिया के तहत कोषालय से राशि आहरण के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यालय प्रधान महालेखाकार का पत्र क्र. टीएम/538 दिनांक 11.07.2022

––––000––––

वित्त निर्देश 77/2012 एवं 05/2013 में कोषालय संहिता के प्रावधानों तथा बजट में व्यय के वर्गीकरण के अनुसार उद्‌देश्य शीर्षो के आधार पर कोषालय से आहरण हेतु देयकों का प्रारूप निर्धारित है। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये राशि विमुक्ति हेतु भारत सरकार के कार्यालयीन ज्ञापन एफ.क्र. 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार योजनांतर्गत केन्द्र सरकार से राज्य को विमुक्त राशि के प्रेषण के उपरान्त समय सीमा में केन्द्रांश व राज्यांश की राशि योजना के एस.एन.ए. खाते में अंतरित करना होता है।

कतिपय प्रकरणों में बजट के विभिन्न उद्‌देश्य शीर्षो में प्रावधानित राशि के कोषालय से आहरण में होने वाले कठिनाई के दृष्टिगत केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत आगामी आदेश पर्यन्त वेतन व संबंधित मद के अतिरिक्त राजस्व व्यय के शीर्षो में प्रावधानित राशि के लिये देयक के प्रकार फार्म –सीजीटीसी 46 में कोषालय से आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। इस हेतु देयक के साथ सक्षम स्वीकृति आदेश प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार पूंजीगत व्यय के शीर्षो में प्रावधानित राशि के लिये देयक के प्रकार फार्म –सीजीटीसी 34 में कोषालय से आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। इस हेतु देयक के साथ सक्षम स्वीकृति आदेश वाउचर के रूप में मान्य होगा। यह निर्देश संदर्भित पत्र द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार की सहमति उपरांत जारी की गई है।

(ऋषभ पराशर)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 1463/PFMS/ब–4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13/07/2022

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
4. समस्त विशेष सचिव/अपर सचिव/संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
5. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर, नवा रायपुर
6. संयुक्त महालेखा नियंत्रक, पी.एफ.एम.एस. ,राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई इन्द्रावती भवन नवा रायपुर
7. समस्त वरिष्ठ कोषालय/ कोषालय अधिकारी
8. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी.
9. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

(चन्द्र प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग